

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर -245/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० अमरेन्द्र कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चेवाड़ा, शेखपुरा का दिनांक-03.09.2024 से 27.12.2024 तक के प्रभार रहित अवधि को पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय) के रूप में विनियमित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(राजीव रंजन)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/आर -245/2025- 1739 [2] पटना, दिनांक 24/12/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शेखपुरा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चेवाड़ा, शेखपुरा/कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/डा० अमरेन्द्र कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चेवाड़ा, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/12/2026
सरकार के अवर सचिव।